

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय:  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर  
जिला-रायपुर

No.: L-201-22  
AD-(K)/JD/-DD  
Section: OP/16/2021  
Date: 6 JUL 2021 C.H.E

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 01/7/2021. ७२

प्रति.

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा रांचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर अटल नगर,  
रायपुर।

विषय:-

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संरथाओं के लिये सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश

मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने वाबत।

संदर्भ:-

आपका झापन क्रमांक 1563/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 16.06.

2021

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संरथाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संरथाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)

अवर सचिव

छोगो शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पु क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छोगो शासन, उच्च शिक्षा विभाग

२५.८.२१

L.L.J.  
Larkha/07/2021



छत्तीसगढ़ शासन

# उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2021-22

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत



# दस्तावेज़

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर  
कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक रिक्विएट

सात्र 2021-22

## 1. प्रयुक्ति :-

1.1 ये मार्गदर्शक रिक्विएट छत्तीसगढ़ के रामी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़  
विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ  
सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा रागत प्राचार्य इनका पालन युनिशिट करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना  
होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम समेर्टर तथा स्नातक  
कक्षा के प्रथम समेर्टर से है।

## 2. प्रवेश की तिथि :-

### 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय रतर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाइन" फार्म जमा कराया जायेगा।  
जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेपित किया  
जायेंगे। ऑनलाइन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश नार्मदरिका दिवानका  
के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाइन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक ने  
महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र रामत प्रमाण पत्रों  
निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु वांड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की रिति में पूर्व समय  
के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर विना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

### 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

रथानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगरत से 31 अगरत तक प्राचार्य स्थाय तथा 15 स्थित  
तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष से प्रवेश  
तिथि 01 अगरत से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित तारीख के 15 दिन (भीतर)  
शासन द्वारा सामय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्राकेया की जावेंगी।  
परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की रिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय  
परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/वांड द्वारा निर्धारित  
घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कड़िका (क)  
में उल्लेखित, कर्मवारियों के रथानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्र  
चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा



किन्तु इसके लिए कर्मचारी हासा कार्यभार प्रहण करने का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना । आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

#### रपाष्टीकरण :-

आवेदक “क” ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान “ब” में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक “ख” ने स्थान (अ) में जहाँ ससके पालक कार्यरत थे, किसी ने महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, उस (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-  
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, रांबंधित विश्वविद्यालय कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

#### प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार-महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक आप प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा “उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कायवाही कर।”
- 3.2 विधि रनातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम ली.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं वार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवशन (न्यूनतम 2 सेवशन एवं अधिकतम 5 सेवशन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।
- 3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/रवशारी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन विषय/विषय रामूँह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय रामूँह में निर्धारित प्रवेश रांख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों का प्रवेश देंगे।



## प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश एवं चयनित विद्यार्थियों की अईकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अंतिम देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगा जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की गोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निररत की रील लगाकर अनिवार्य रूप से निररत कर दिया जाये।
- 4.4 स्थोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर छात्राओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त 50/- रुपये से बसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस अथवा एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त सस्था से अंदर रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से बचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से सभी गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड आदि संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेपित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत रनातक/रनातकोत्तर रत्त छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।
5. प्रवेश की पात्रता :-
- 5.1 निवासी एवं अईकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत वैकौं तथा भारत सरकार द्वारा संचालित भावसाधिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के



विश्वविद्यालयों तथा उनके आक्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाए। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी रथान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त गोर्ह एवं अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के अनुसार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

- (ख) सामग्र्य विश्वविद्यालय से या सामग्र्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / गोर्ह से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार रांचीधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के अनुसार ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

#### 5.2 स्नातक रत्तर, नियमित प्रवेश :—

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश की प्रवेश की पात्रता होगी। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किरी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय की बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) स्नातक रत्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों का क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय रत्तर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

#### 5.3 स्नातकोत्तर रत्तर नियमित प्रवेश :—

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए—प्रथम रोमेस्टर एवं अहंकारी विषय वी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.—सी/एम.ए—प्रथम रोमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक रत्तर पर भूगोल विषय का अध्यायन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अहंता के संबंध में संकाय की रिधति में रांचीधित विश्वविद्यालय सांबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अहंता ही बंधनकारी होगे।

- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय क्रम नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। रोमेस्टर पद्धति की, पूर्व अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम—
- स्नातकोत्तर प्रथम रोमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों के प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।



2. रनातकोत्तर तृतीय रोमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमी का अनुसार पात्र आवेदकों को अगले रोमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि रनातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम रोमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम रोमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों कमशः एल.एल.बी. द्वितीय रोमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय रोमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम रोमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक रीमा :-

- (क) "विधि रनातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक रीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि रनातकोत्तर पूर्वाद्वि में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अन्य सूचित जाति/ओडीसी 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संरक्षा के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6 समकक्ष परीक्षा :-

- 6.1 सोन्हल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कॉसिल फार सेकंडरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड और सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

- 6.2 सामान्यतः भारत में रिथित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सादरय हैं, उनकी सनस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐरो विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संवालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संरक्षा को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ वर्मन विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संरक्षा को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ वर्मन आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा विश्वविद्यालय संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी कर्त्ता अथवा मान्यता विधि विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य समकक्ष विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।



वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualifications Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक सम्बद्ध पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में सामृद्धि प्रार्थनिक प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशारकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (रोटी  
एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

“जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अहंता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अहंता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूचबद्ध किये गये समर्त महत्व विषयों को नियमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि 1 से 10 रत्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें रत्तर 5 से रत्तर 10 तक के बीच पत्र उच्च शिक्षा से एवं रत्तर 1 से रत्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल वोर्ल्ड विकास को पाठ्यक्रम प्रतावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को सामृद्धि समर्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के रत्तर 4 के प्रमाण-पत्र रत्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 वर्ष में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी रिथ्ति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि ये समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम की दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में सामृद्धि प्रार्थनिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर प्रिल सकें।”

#### वाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

रनातक रत्तर तक वी.ए./वी.कॉम./वी.एस.-री./वी.एच.एस.-री. में एकीकृत पाठ्यक्रम लिए होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की प्राप्तता है। इसका समबद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय रामबद्ध आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय रो पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

छत्तीसगढ़ के बाहर रिथ्ति विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक रत्तर के प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से रनातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक रत्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-



प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश किया जाए।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र दना होगा जिसे भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संवंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य सभी के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में रक्षायामी आवेदकों को स्थान दिया जाने पर विश्वविद्यालय के भूतापूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक विषयों करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पहले अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-
- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान दिया जाने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीमेंट विप्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतं निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य नहीं जायेगा।
9. प्रवेश हेतु अहंताएँ :-
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश का लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जायेगा, उसे मात्र एक रथानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रगाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रक्रिया चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्नेवलिस्टों के दुर्घटनाएँ/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हों, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।



महाविद्यालय में तोडफोड करने और महाविद्यालय की रापति को नाट करने वाले/रेति के आदानपानी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। इनमें इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवाय एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीरामढ राज्य के किरी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

### प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

- (क) रनातक पश्च वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सोमेरटर में 27 वर्ष से अधिक वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदन वाले लुलाई की रेखाते में की जायेगी। डिलोग्या एवं स्नातकोत्तर डिलोग्या में प्रवेश निर्धारित अधिकतम आयु रीमा 27 वर्ष मात्र की जाएगी। बी.पी.एड एवं एम.पी.एड में प्रवेश निर्धारित आयु रीमा 25 एवं 28 वर्ष होगी।
- (ख) आयु रीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशासित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशासित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेंटसीट व अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु रीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।
- (घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सोमेरटर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, गांधीजी की जय आवेदकों के लिए आयु रीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/आवेदकों के लिए आयु रीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

- १५ पूर्णकालिक शाराकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि उपरात लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियावत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्ररतुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- १६ किसी संकाय में रनातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के रनातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

### प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

- १०.१ उपलब्ध रथानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निमानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
    - (क) रनातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिकारी देय हैं, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अवधि के आधार पर लेय।
    - (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्राप्तांक एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।



*[Signature]*

### प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताक व आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में सर्वोन्मिति/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्नातक विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एकीमेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये, अन्य कम रथावर्त रहेगा।

स्नातक सत्र के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/ज़िलों के निवासरत् अर्थवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

25 विस्ती एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा राकेगा।

आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

26 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में उसका विरतार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् -

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से बतोत्स प्राप्त सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से वारह प्राप्त सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्राप्त सीटें अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों साथ—साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत करने पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धि के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इस विवरण कम से विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहाँ खण्ड (ग) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो उन अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

122 (1) विन्दु क 121 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का उपलब्ध उच्चाधार (वर्तीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कामिकों/सामाजिकों, स्वतंत्रता संरक्षण सेनानियों के वर्चों या व्याक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सकार में सीटें आरक्षण प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस अधिनियन



MARGIDARSHIKA 2021-22

- प्रयोजनों के लिए अधिरूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ग) तथा (ग) के अधीन यथारिथति, उद्धारित आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता रांगाम रोनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिए 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निश्चक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत् आरक्षित रहेंगे।
- 14 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 15 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी अथवा काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे— स्वतंत्रता रांगाम रोनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
- 16 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या नहीं होगी।
- 17 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश किया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 18 समय—समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 19 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 20 तृतीय लिंग के व्यवितरणों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकल्प क्रमांक डब्ल्यू.पी.(री) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अर्थारिटी विरुद्ध भरत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में प्राप्त निर्देश दिया गया है कि— "We direct the Centre and the State Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।
- 21 अधिभार :—

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति वा इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। आहकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार दद्य होगा, अधिभार हेतु समर्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किय जाने वाले प्रमाण-पत्र पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर भी सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

### 13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्रा/गाइड्स/रेञ्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट

02 प्रतिशत्

एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट

03 प्रतिशत्



प्रकाशित दिन: 15.04.2021

	या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण रकाउट्स	
(ग)	“री” सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण रकाउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य रत्तरीय संचालनालयीन एन.री.री. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीरागढ़ के एन.री.री./एन.एस.एस. कंटिन्यून्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल रकाउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति रकाउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीरागढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.री.री. कैडेट	10 प्रतिशत
(य)	ख्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.री.री. कैडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.री./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जगदूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत
13.2	आनंद विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
13.3	खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / किंवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :-	
(1)	लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीरागढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अन्तर्राजिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय रांगडन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / अन्तर स्तर प्रतियोगिता में :-	
(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त रथान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत
(2)	उपर्युक्त कांडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्राजिला, राष्ट्रीय रत्तरीय स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय रांगडन द्वारा आयोजित अन्तर्राजिला, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित दोनों प्रतियोगिता में :-	
(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त रथान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
(3)	भारतीय विश्वविद्यालय रांघ द्वारा आयोजित, संरादीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-	
(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त	15 प्रतिशत



10.01.22

.11.

- करने वाले को
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय रथान अंजित करने वाली टीम 12 प्रतिशत  
के सदस्यों को
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 1 मास्त एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युष्म अथवा साईन्स एवं कल्वरल  
एकार्डेज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सारकृतिक/साहित्यिक/  
कला क्षेत्र में वयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 15 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में  
(अ) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के 10 प्रतिशत  
सदस्य को
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय रथान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की 12 प्रतिशत  
टीम के सदस्यों को
- 13.6 जमू-कश्मीर के विद्यार्थितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत
- 13.7 विशेष प्रोत्साहन :—  
छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद का प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड, एशियाड, राष्ट्रीय अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता, भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में राष्ट्रीय प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :—
- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्राप्तित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अन्तर्वास में अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा द्वारा वार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु रक्कूल रतर के पिछले चार कमिक रात्र तक के प्रमाण-पत्र रनातक एवं प्रथम वा विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार द्वारा मान्य किये जायेंगे। रनातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु नवीन तत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।
- 14 संकाय/विषय/युप परिवर्तन :—  
स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/युप परिवर्तन कर भ्रमा चाहने वाले विद्यार्थियों का उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/युप परिवर्तन की अनुगति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिवर्तन



PRIVACY STATEMENT | GATE 2021

ने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही ही जायेगा। इस अनुमति उच्ची विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की यूनिभारेट सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

#### शोध छात्र :-

भारतीय महाविद्यालयों में पी.एव.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जाता पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की रिस्ते में सुपरवाइजर को अनुशासन व प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एव.-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के साथ न कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपरिधि प्रमाण पत्र एवं प्राप्ति नाम साथ काये प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आउटरण अधिकारी द्वारा शाखा विभाग को आठरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने को लिये शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहाँ से उनका इस आवेदन पत्र अप्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रवंध द्वारा महाविद्यालयों के प्राचार्य अप्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

#### विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशारतीय आवार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश गिल गया है तब एस प्राप्ति निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह अधिक समय तक अनुपरिधि रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन दिये जाने की रिस्ते में विद्यार्थी को सराक्षित निष्पत्र के अद्वितीय अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शक आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट तीप व अग्रिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीरागढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश सक्षम किसी भी प्रकरण को केवल अप्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/रांशोधन/निरस्त/रांलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीरागढ़ शारान उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

